आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को विश्व्यापी महामारी घोषित किया हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस बात से सतुंष्ट है कि देश में कोरोना महामारी के फैलने का खतरा हैं और देश भर में इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना आवश्यक हैं इसलिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा चण्डीगढ़ Memo No. DMC-SPO-2020/3456 दिनांक 05-06-2020, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, Memo No.ADULB/Admn/2020/30179 dated 07-06-2020 एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय दिनांक 04-06-2020 द्वारा धार्मिक स्थलों के लिए जारी किये गए एस/ओ/पी के आदेशो की अनुपालना करते हुए मैं मुकुल कुमार भा0 प्र0 से0, जिलाधीश, यमुनानगर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 और 34 के तहत जिला यमुनानगर के क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्र में जनता के लिए धार्मिक और पूजा स्थलों की गतिविधियों को निम्न प्रकार से संचालित करता हूँ:–

1. कन्टेनमेन्ट क्षेत्र में धार्मिक/पूजा स्थल बंद रहेगें
2. धार्मिक और पूजा स्थलों पर सेवादारों एवं भक्तों को कोरोना से बचने के सामान्य उपाय जैसे चेहरे को मास्क या कपडे से ढकना, दो गज की दूरी एवं सामान्य सेहत सम्बन्धी उपायों की हर समय अनुपालना करनी होगी।
3. किसी भी प्रकार की आरती, मण्डली या सामूहिक प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाएगी, केवल व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना की अनुमति होगी।
4. पूजा/धार्मिक स्थलों के भीतर लंगर या प्रसाद बांटना एवं पवित्र जल का छिडकाव करना वर्जित हैं, हालाँकि पहले से चल रही सामुदायिक रसोई में भोजन बनाना एवं वितरण शारीरिक मानदंडों (दो गज की दूरी) के अनुरूप होगा।
5. सेनिटाइजेशन नियमित रूप से किया जाना चाहिए।
6. 65 साल से अधिक, किसी अन्य बिमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलायें एवं 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
7. हाथों एवं पैरो को साबुन से धोकर ही धार्मिक स्थलों के अन्दर आने दिया जाये, श्वसन शिष्टाचार जैसे छींक या खांसी आने पर रूमाल/टिशु /कोहनी का प्रयोग करे।
8. कोरोना लक्षण मुक्त व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति होगी, प्रवेश द्वार पर बुखार मापी यन्त्र/थर्मल स्कैनर एवं सैनीटाइजर का होना अनिवार्य हैं, मास्क/कपडे से मुँह ढक कर ही स्थल के अन्दर जाने दिया जायेगा, विशेषतः प्रवेश करने एवं बाहर जाने का रास्ता अलग–अलग होना चाहिए।
9. धार्मिक संगठनों द्वारा कोरोना से बचाव के पोस्टरों का प्रदर्शन/ऑडिया/वीडियो की प्रमुखता से पालना होनी चाहिए।
10. चप्पल/जूते गाडी में ही उतारें, यदि आवश्यकता पडे तो हर परिवार/व्यक्ति के जूते/चप्पल अलग–अलग स्लॉट में रखे जाएं।
11. स्थल के अंदर बैठने की व्यवस्था/पार्किग/स्थलों के भीतर अन्दर की दुकानों को सामाजिक दूरी के मानदंडों की अनुपालना करनी होगी, धार्मिक संगठनों की अपनी परिसर के बाहर और अन्दर पंक्ति बनाने के लिए 2 मीटर की दूरी पर स्थाई पेंट मार्किंग सुनिश्चित करे।
12. एयर कंडीशनर का तापमान 24^0–30^0 डिग्री पर सेट होना चाहिए एवं कमरा पर्याप्त हवादार हो जिससे शुद्ध वायु का प्रसार हो सके।
13. मूर्तियों/ पवित्र ग्रंथो को छूने, गाना बजाने वाले समूहो की अनुमति नहीं होगी, बिमारी फैलने की सम्भावना के दृष्टिगत जहाँ तक हो सके रिकार्ड किये गये भजन / संगीत का प्रसार किया जाये।
14. शुभकामना देते समय शारीरिक सम्पर्क में आने से बचे, सामूहिक रूप से चटाई का प्रयोग ना किया जाये, भक्त चटाई/ कपड़ा घर से लाये जिसे वह वापिस घर ले जा सके।
15. भक्तों / कर्मचारियों / सेवादारो द्वारा इस्तेमाल किये गये मास्क/दस्तानों का निश्चित स्थान पर निपटान किया जाये।

Mukul Kumar

Scanned with CamScanner

16. भक्त / कर्मचारी / सेवादार **आरोग्य सेतु एप** अपने मोबाईल पर डाउनलोड करें एवं स्वयं ही अपने स्वास्थय की निगरानी रखें/सार्वजनिक स्थानो पर थूकना कानूनन अपराध है।

17. फ्लू के लक्षण वाले भक्तों / कर्मचारियों / सेवादारो को तुरन्त ई0एस0आई0 हस्पताल जगाधरी रैफर किया जाये, यदि व्यक्ति कोरोना पॅाजिटिव पाया गया तो पूरे स्थल को कीटाणु रहित करना होगा।

पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर, आयुक्त नगर निगम यमुनानगर–जगाधरी, सभी एस0डी0एम0, डयूटी मैजिस्ट्रेट, एस0एच0ओ0, सचिव नगर पालिका, रादौर व सढौरा इस आदेश की पालना दृढ़ता से सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशो का जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी द्वारा जिला यमुनानगर के सभी गांव, शहरो, करबो(कन्टेनमेंट क्षेत्र छोड कर) ढोल एवं मुनादी के माध्यम से प्रसार किया जाये।

सम्बन्धित को उपरोक्त आदेशों की अनुपालना करने के निर्देश दिए जाते है। इन निर्देशों/आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ आई पी0सी0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

Mukul Kumar

जिलाधीश एवं अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
यमुनानगर।

क्रंमाक २३२० एम0ए0/दिनांक ०४/०६/२०२०

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
6. आयुक्त, अम्बाला मण्डल, अम्बाला छावनी।
7. आयुक्त, नगर–निगम, यमुनानगर–जगाधरी।
8. अतिरिक्त उपायुक्त यमुनानगर।
9. पुलिस अधीक्षक, यमुनानगर।
10. सभी जिलाधीश, हरियाणा राज्य।
11. उपमण्डल अधिकारी (ना0) जगाधरी/बिलासपुर/रादौर।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, यमुनानगर।
13. जिला राजस्व अधिकारी, यमुनानगर।
14. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर।
15. उपआबकारी एवं कराधान आयुक्त यमुनानगर।
16. सभी सम्बन्धित डयूटी मैजिस्ट्रेट, यमुनानगर।
17. सिविल सर्जन, यमुनानगर।
18. जिला खादय एवं आपूर्ति नियन्त्रक विभाग, यमुनानगर।
19. सभी तहसीलदार/उपतहसीलदार, यमुनानगर।
20. सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर।
21. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, यमुनानगर।
22. सचिव नगरपालिका रादौर/सढौरा।
23. आशुलिपिक उपायुक्त/नगराधीश।

Mukul Kumar

जिलाधीश एवं अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
यमुनानगर।

Scanned with CamScanner